



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 6 जुलाई, 2020

आषाढ़ 15, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

चिकित्सा अनुभाग-2

संख्या 1869/सेक-2-पाँच-2020-7(163)-2011 टी0सी0-I

लखनऊ, 6 जुलाई, 2020

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-36

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (अष्टम् संशोधन) नियमावली, 2020

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (अष्टम् संशोधन) संक्षिप्त नाम और नियमावली, 2020 कही जायेगी; प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004, में नियम 5(1) में नियम 5 का नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (एक) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड संशोधन रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

<u>स्तम्भ-1</u>	<u>स्तम्भ-2</u>
विद्यमान खण्ड	प्रस्तावित नियम
(एक) महानिदेशक-मौलिक रूप से नियुक्त निदेशकों में से, पदोन्नति द्वारा।	(एक) महानिदेशक-मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे निदेशकों में से, जिनकी अधिवर्षता में चयन वर्ष के प्रथम दिवस को न्यूनतम 01 वर्ष शेष हो, पदोन्नति द्वारा।

आज्ञा से,
अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1869/Sec-2-Five-2020-7(163)-11 T.C.-I, dated July 6, 2020 :

No. 1869/Sec-2-Five-2020-7(163)-2011 T.C.-I

Dated Lucknow, July 6, 2020

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Medical and Health Service Rules, 2004.

**THE UTTAR PRADESH MEDICAL AND HEALTH SERVICE
(EIGHTH AMENDMENT) RULES, 2020**

Short title and commencement	1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Medical and Health Service (Eighth Amendment) Rules, 2020. (2) They shall come into force at once.
Amendment of rule 5	2. In the Uttar Pradesh Medical and Health Service Rules, 2004, in rule 5 for existing clause (i) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be <i>substituted</i> , namely:-

<u>COLUMN-1</u>	<u>COLUMN-2</u>
<i>Existing clause</i>	<i>Clause as hereby substituted</i>
(i) Director General-By promotion from amongst substantively appointed Directors.	(i) Director General-By promotion from amongst substantively appointed Directors, who have minimum one year remaining in superannuation on the first day of the year of selection.

By order
AMIT MOHAN PRASAD,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 98 राजपत्र-(हिन्दी)-2020-(199)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सा० चिकित्सा-2020-(200)-1,500 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।